5/3/18

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

153/2016 रामावतार - मुरारीलाल

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/ रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 ने अदालत मातहत में दावा ईस्तकरारहक एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मूण्डरू में आराजी खसरा नं0 2973 रकबा 0.52 हैक्टर, ख0नं0 3423 रकबा 0.02 हैक्टर कुल किता-2 रकबा 0.54 हैक्टर की खातेदारी वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीगण की दादी बेवा गणेश पुत्र महादेव के नाम दर्ज रेकार्ड है ।वादी एवं प्रतिवादीगण का दादा गणेश पुत्र महादेव था। वादी एवं प्रतिवादीगण की दादी व दादा गणेश नाऔलाद फौत हो गये थे ।जिनके वारी वादी एवं प्रतिवादी सं0-1 से 4 है ।महादेव का सजरा खानदान के अनुसार महादेव के दो पुत्र गणेश व मांगीलाल हुये। जिसमें गणेश व उसकी बेवा बिदामीदेवी ना-औलाद फौत हो गये ।जिससे मांगीलाल के वारिस ही गणेशा के वारिस हुये ।जिससे विवादित आराजी के वादी एवं प्रतिवादी सं0-1 से 4 हैं खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की वंश श्रृखला में है। इनके अलावा महादेव के वारिसान सजरा खानदान में नहीं है ।उक्त आराजी गणेश परिवार में बडा एवं कर्ता खानदान होने से उसके नाम दर्ज हो गई । जबकि उक्त आराजी की काश्त दोनो भाई गणेश व मांगीलाल शामिल में ही करते रहे हैं । इस आराजी की सार सम्भाल वादी ही करता रहा है प्रतिवादीगण जयपुर में रहने लग गये जिससे इस आराजी को वादी ने ही विकसीत की है जिसमें आम के पेड काफी लगाये हैं ।विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है ।अतः उक्त आराजी की खातेदारी वादी के नाम दर्ज कर गणेश पुत्र महादेव का नाम राजस्व रेकार्ड से हजफ किया जावे। प्रतिवादी सं0-1 से 4 ने अदालत मातहत में इकबालिया

की खातेदारी वादी के नाम दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं की है । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादी का दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है ।अदालत मातहत का निर्णय प्रलेखीय साक्ष्यों के विपरित है। रेस्पोडेन्ट ने अदालत मातहत के समक्ष सजरा खानदान गलत रूप से प्रस्तुत किया है।गणेश का रेस्पोडेन्ट ने नाऔलाद बताया है जबकि उसके दो पुत्रिया स्व0 नर्बदा व स्व0 सरजू पैदा हुई है जिनकी फौतगी पर अपीलान्टस् उनके वारिस हो गये। रेस्पोडेन्ट संख्या-। ने बिदामी बेवा गणेश को नाऔलाद बताकर न्यायालय को मुगालते में रखाकर निर्णय करवाया है ।गणेश व बिदामी के फौत होने के बाद इस आराजी पर अपीलान्ट सं0-। से ।5 काबिज है ।अदालत मातहत में मुताबिक राजीनामा जो निर्णय किया गया है वह गलत है ।अपीलान्ट को अदालत मातहत में पक्षकार नहीं बनाया गया इस कारण अपीलाधहन निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हुई रेस्पोडेन्ट संख्या-। ने अपीलान्ट संख्या-2 के साथ इस आराजी को लेकर लडाई झगडा करने लगा तथा एलानिया धमकी दी की यह आराजी हमारे नाम है । तब दिनाक 28-8-2016 को निर्णय की जानकारी हुई जिससे यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की जिसमें अपीलान्ट पक्षकार नहीं होने पर अपील पेश करने की इजाजत का प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील पेश की है अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई ।

दिनांक	आज्ञा पत्र	

1 से 5 के मध्य राजीनामा हुआ । राजीनामा में अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एव डिक्री निरस्त किये जाने में कोई ऐतराज नहीं किया। पक्षकारो में राजीनामा हो जाने पर न्यायालय ~~राष्ट्रीय~~ लोक अदालत की भावनाओं को ध्यान में रखकर मुताबिक राजीनामा अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने में कोई ~~ऐ~~ कानूनी भूल नहीं पाता ।

अतः न्यायहित मे अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12-3-2013 खारिज किया जाता है ।

निर्णय सुनाया गया ।

5/3/18.

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर